



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1944 (श10)  
(सं0 पटना 959) पटना, बुधवार 9 नवम्बर 2022

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

9 नवम्बर 2022

सं० सं0का0-1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-864—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

**बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022**

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। —

(i) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।

(ii) संशोधन अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगी।

(iii) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "40,000/- (चालीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "50,000/- (पचास हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "50,000/- (पचास हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "55,000/- (पचपन हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 में संशोधन। — उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25,00,000/- (पचीस लाख) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10,000/- (दस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 की चौथी, छठी एवं बारहवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "30,000/- (तीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "40,000/- (चालीस हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-8(क), (ख)(iv), (ख)(v) एवं (घ)(iv) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम-8(क) की पांचवी पंक्ति, (ख)(iv) की पहली पंक्ति, (ख)(v) के चौथे एवं पांचवे परन्तुक की तीसरी पंक्ति तथा (घ)(iv) की पहली पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "20/- (बीस) रुपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25/- (पचीस) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9(1) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 (1) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000/- (दो हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3000/- (तीन हजार) रुपये" द्वारा एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2500/- (दो हजार पाँच सौ) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3500/- (तीन हजार पाँच सौ) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,00,000/- (तीन लाख) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "4,00,000/- (चार लाख) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "28,000=00/- (अठारह हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये" तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "7000=00/- (सात हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "8,000/- (आठ हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "35,000/- (पैंतीस हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "45,000/- (पैंतालिस हजार) रुपये" तथा छठी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "3,000/- (तीन हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "4,000/- (चार हजार) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) में संशोधन। - उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये" को अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2,00,000/- (दो लाख) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उदय प्रताप सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 959-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>